प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 02.11.2025

- **थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिये उकसाने की घटना से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में नामित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादी श्री अंकित सिंह पुत्र स्व0 श्री गुड्डू सिंह निवासी ग्राम दमनपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 29.10.2025 को थाना राजपुर पर तहरीर दी गयी कि वीर सिंह पुत्र पर्वत सिंह, सुखविन्दर सिंह पुत्र वीर सिंह, त्रिवेणी सिंह पुत्र स्व0 रामजी सिंह व 01 महिला द्वारा मुझे व मेरी माँ के साथ मारपीट की गयी तथा मेरी माँ को जहरीला पदार्थ खिला दिया है, जिसके सम्बन्ध में थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 99/2025 धारा 115(2)/352/123/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों से प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी श्री अंकित सिंह की माँ को प्रताड़ित किया गया जिससे आहत होकर वादी की माँ द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली गयी। विवेचना से प्राप्त साक्ष्यों के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 123 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 108 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। जिसमें थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सुखविन्दर सिंह उर्फ उदय प्रताप सिंह पुत्र वीर सिंह उम्र करीब 23 बर्ष निवासी ग्राम दमनपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 02.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर छोलापुर से खोजा बिजहरा जाने वाले चौराहे थाना क्षेत्र राजपुर से गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. सुखविन्दर सिंह उर्फ उदय प्रताप सिंह पुत्र वीर सिंह उम्र करीब 23 बर्ष निवासी ग्राम दमनपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना राजपुर पुलिस